रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 23, 1994/वैशाख 3, 1916
No. 201] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 23, 1994/VAISAKHA 3, 1916

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1994

का.आ. 325 (अ).—संविधान के अनुच्छेद 243ठ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि संविधान के भाग ix के उपबंध निम्नलिखित अपवादों और आशोधनों के अध्यधीन संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप पर लागू होंगे, अर्थात् :—

(i) अनुच्छेद 243 ग,—

(क) खंड (1) में, परन्तुक को हटा दिया जाएगा,

(ख) खंड (2) में, "इस तरह से कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या तथा उससे आबंटित सीटों की संख्या के बीच अनुपात, जहां तक व्यवहार्य हो, सम्पूर्ण पंचायत क्षेत्र में एक समान होगा" शब्दों को हटा दिया जाएगा,

(ii) अनुच्छेद 243ग में, खण्ड (5) में, उपखंड (ख) में, "उसके चुने गये सदस्यों द्वारा और उनमें से शब्दों के स्थान पर "ग्राम पंचायतों (द्वीप) के अध्यक्षों द्वारा उनके चुने गये सदस्यों में से और ऐसे चुने गये सदस्यों" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(iii) जिला पंचायत के प्रयोजन के लिए इसकी प्रयोजनीयता के सम्बन्ध में अनुच्छेद 243घ के खंड (4) को हटा लिया माना जाएगा,

(iv) अनुच्छेद 243झ में,—

(क) खंड (1) में, "राज्य का राज्यपाल" शब्दों के स्थान पर, "राष्ट्रपति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा और "राज्यपाल" शब्द के स्थान पर, "राष्ट्रपति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा,

(ख) खंड (1) के उपखंड (ग) में "राज्यपाल" शब्द के स्थान पर "राष्ट्रपति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा,

(v) (क) अनुच्छेद 243ट में,—

(1) खंड (1) में, "राज्यपाल" शब्द के स्थान पर "राष्ट्रपति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा,

(2) खण्ड (2) में, "राज्यपाल" शब्द के स्थान पर "राष्ट्रपति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा,

(ख) खण्ड (3) और इस खंड के उपखंड (क) द्वारा यथा आशोधित अनुच्छेद 243झ अथवा अनुच्छेद 243ट में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं होगा कि अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक ही वित्त आयोग गठित करने अथवा एक ही निर्वाचन आयोग नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति को सीमित किया जा सकेगा।

[फा.सं. यू. 11024/3/93—यू.टी.एल.]

आर. आर. शाह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 1994

S.O. 325(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 243L of the Constitution, the President hereby directs that the provisions of

Part IX of the Constitution shall apply to the Union territory of Lakshadweep, subject to the following exception and modifications, namely :—

(i) in article 243C, —

(a) in clause (1) the proviso shall be omitted ;

(b) in clause (2), the words "in such manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it shall, so far as practicable, be the same throughout the Panchayat area" shall be omitted;

(ii) in article 243C, in clause (5), in sub-clause (b), for the words "by, and from amongst, the elected members thereof", the words "from amongst the elected members thereof by the Chairpersons of village (Dweep) panchayats and such elected members" shall be substituted;

(iii) clause (4) of article 243D shall be deemed to have been omitted in respect of its applicability for the purpose of district Panchayat;

(iv) in article 243-I, —

(a) in clause (1), for the words "Governor of a State", the word "President" shall be substituted and for the word "Governor, the word "President" shall be substituted;

(b) in sub-clause (c) of clause (1), for the word "Governor", the word "President" shall be substituted;

(v) (a) in article 243K, —

(1) in clause (1), for the word "Governor", the word "President" shall be substituted;

(2) in clause (2), for the word "Governor", the word "President" shall be substituted;

(b) nothing contained in article 243-I or article 243K, as modified by clause (iii) and sub-clause (a) of this clause, shall be construed so as to restrict the power of the President to constitute a common Finance Commission or to appoint a common Election Commission for the Union territories of the Andaman and Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu and Lakshdweep.

[F. No. U-11024|3|93-UTL]

R. R. SHAH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994